पत्र संख्या-विधि-4-(2) सिविल एवं विद्युत संविदाकार समा0यो0-7(2010-11)/1687/1011078/ वाणिज्य कर ।

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

(विधि अनुभाग)

दिनांकः: लखनऊ:: 31 दिसम्बर, 2010

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्यपालक)
समस्त डिप्टी कमिश्नर (कर निर्धारण)
समस्त असिस्टेन्ट कमिश्नर (कर निर्धारण)
वाणिज्य कर विभाग, उत्तर प्रदेश ।

विषयः- **सिविल संकर्म संविदाकारों के सम्बन्ध में तथा विद्युत संविदाकारों के सम्बन्ध में देय कर के विकल्प में उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम 2008 की धारा-6 (1) के अन्तर्गत देय कर के विकल्प में एकमुश्त धनराशि प्राप्त करने के लिए लागू समाधान योजना में संशोधन किया जाना ।**

मुख्यालय के पत्र संख्या वैट/विधि-1(2)-पत्रा-7-(09-10)समाधान योजना-218/0910020/वाणिज्य कर दिनांक 09-06-2009 द्वारा सिविल संकर्म संविदाकारों तथा विद्युत संविदाकारों के लिए समाधान योजना के सम्बन्ध में शासन के पत्र सं0-क0नि0-2-1278/ग्यारह-2009-9-(2)/08 दि0 09-06-2009 द्वारा प्राप्त निर्देश परिपत्रित किये गये थे ।

2- शासन के पत्र सं0-क0नि0-1941/ग्यारह-2-9(2)/08 दिनांक 30-12-2010 (संलग्न) द्वारा उक्त समाधान योजनाओं में निम्नवत् संशोधन किये गये हैं :-

(1) सिविल संकर्म संविदाकारो के सम्बन्ध में समाधान योजना के निर्देश के प्रस्तर (2) के वर्तमान खण्ड (क) के स्थान पर निम्नवत् खण्ड (क) रख दिया जाए :-

" (क) जिन मामलो में सविदाकार द्वारा वित्तीय वर्ष मे निष्पादित ठेके के कुल धनराशि के 5 प्रतिशत तक आयातित माल का प्रयोग किया गया हो, उसमें आगणित धनराशि के 4 प्रतिशत की दर से । "

(2) विद्युत संविदाकारो के सम्बन्ध में समाधान योजना के निर्देश के प्रस्तर (2) के वर्तमान खण्ड (क) के स्थान पर निम्नवत् खण्ड (क) रख दिया जाए :-

" (क) जिन मामलो में सविदाकार द्वारा वित्तीय वर्ष मे निष्पादित ठेके के कुल धनराशि के 5 प्रतिशत तक आयातित माल का प्रयोग किया गया हो, उसमें निष्पादित ठेके की धनराशि के 4 प्रतिशत की दर से । "

3- इस शासनादेश दिनांक 30-12-2010 से पूर्व व्यापारियों द्वारा समाधान हेतु दिये गये प्रार्थना पत्रों के सम्बध में सभी शर्ते पूर्ववत शासनादेश दिनांक 09-06-2009 के अनुसार ही रहेंगीं ।

कृपया शासन के उक्त निर्णय दिनांक 30-12-2010 के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। शासन के इस निर्णय का व्यापक प्रचार प्रसार कराते हुये इसकी प्रतियां अधिवक्ता संघों एवं व्यापारिक संगठनो को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।

संलग्नकः **यथोपरि ।**

31/12

(चन्द्रभानु)
कमिश्नर वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश ।

पृ0प0सं0एवं दिनॉक उक्त ।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

(1) प्रमुख सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर विभाग,उत्तर प्रदेश शासन सचिवालय,लखनऊ।
(2) निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना उत्तर प्रदेश शासन,सचिवालय,लखनऊ।
(3) सॅयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन,सचिवालय,लखनऊ (दो प्रतियो में)
(4) अध्यक्ष/निबन्धक उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवॅ समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, वाणिज्य कर,उ0प्र0
(5) समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1/ ग्रेड-2, वाणिज्य कर , उ0प्र0 मुख्यालय लखनऊ ।
(6) एडीशनल कमिश्नर,ग्रेड-2(वि0अनु0शा0/ अपील), वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश ।
(7) समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0/अपील/कारपोरेट) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
(8) अपर निदेशक सॅयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक, वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान,गोमती नगर,लखनऊ ।
(9) महालेखाकार, 171ए अशोक नगर,इलाहाबाद ।
(10) वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी,सतर्कता अधिष्ठान ,विक्रमादित्य मार्ग ,लखनऊ।
(11) प्रबन्धक,इसेंटिव,,पिकप,राणाप्रताप मार्ग लखनऊ ।
(12) समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
(13) सीनियर डिप्टी एकाउन्टेंट जनरल,रेवेन्यू आडिट विंग,स्टेट आफिस आफ द ए0जी0आडिट 11, सरोजनी नायडू मांर्ग,इलाहाबाद।
(14) विकास आयुक्त,नोयडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन,सेक्टर 10नोयडा ।
(15) एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 /ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी कमि0/असिस्टेन्ट कमिश्नर,सर्वोच्च न्यायालय कार्य)गाजियाबाद ।

(16) एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1 / ग्रेड-2 / ज्वाइन्ट कमिश्नर / डिप्टी0 कमि0 / असि0 कमि0 (उ0न्या0कार्य0)लखनऊ / इलाहाबाद।
(17) मैअनुल अनुभागा/सूचना केन्द्र, नई इकाई अनुभाग को क्रमश: 5- 5 तथा 10प्रतियों में।
(18) विधि अनुभाग मुख्यालय को 50 प्रतियाँ।
(19) समस्त अनुभाग अधिकारी , वाणिज्य कर,मुख्यालय ।
(20) अध्यक्ष,उत्तर प्रदेश टैक्स एडवोकेट वैल फेयर एसो0185/293अमीनाबाद रोड,गणेश गंज,लखनऊ।
(21) अधिशासी निदेशक,उद्योग बन्धु, सी 15 माल एवेन्यू,लखनऊ।
(22) श्री श्याम बिहारी मिश्र,उर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल,87/349 आर्या नगर,सगीत टाकिज के पीछे कानपुर।
(23) श्री बनवारी लाल कंछल, अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल,कंछल कुंज, 66,शास्त्री नगर,लखनऊ।
(24) श्री संदीप बंसल,सदस्य राज्य स्तरीय व्यापार कर सलाहकार समिति , 29बी विधायक निवास दारुलसफा लखनऊ।
(25) मर्चेन्ट चेम्बर आफ कामर्स ,14/26 सिविल लाइन्स कानपुर।
(26) एसोशियेटेड चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 4/180 विशाल खण्ड पी0वी0-17 गोमती नगर लखनऊ।
(27) पी एच डी चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 1 ए ला प्लास शाहनजफ रोड लखनऊ।
(28) अवध चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0 द्वारा ब्राइट बेबी साइकिल इण्ड0 ऐशबाग रोड,लखनऊ।
(29) आल इन्डिया मैन्युफैक्चर्स आर्गेनाइजेशन डी-4 साइट संख्या 3 मेरठ रोड इण्डस्ट्रीयल एरिया गाजियाबाद।
(30) कनफेडरेशन आफ इन्डियन इण्ड0 निराला नगर,लखनऊ।
(31) राज्य स्तरीय सलाहाकार समिति /सम्भागीयसलाहकार समितिके सदस्यों को सम्बंधित ज्वा0 कमि0 (कार्य0)के माध्यम से।
(32) प्रदेश प्रमुख लघु उद्योग भारतीय 10इन्जीनियर्स काम्पलेक्स,सुल्तानपुर रोड,रायबरेली।
(33) शिवकुमार अरोड़ा,एडवोकेट,महा सचिव,उ0प्र0 टैक्स बार एसो0 जमुना बिहार,एस0एस0कालेज रोड,खतौली, मुजफ्फरनगर
(34) श्री मदन मोहन भरतीया एडवोकेट, सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उ0प्र0 शासन 26/103 बिरहाना रोड कानपुर।
(35) प्रो0 डा0 सुरेन्द्र नाथ डीन फैकल्टी आफ ला बनारस हिन्दु यूनिवर्सिटी,बनारस ।
(36) प्रो0 श्रीमती रंजना कक्कड़,15 टैगोर टाउन इलाहाबाद।
(37) डा0 छेदी लाल साथी, ए-5/1579 इन्द्रा नगर, लखनऊ।
(38) श्री बी0एन0राय, एडवोकेट,अध्यक्ष, दि यू0पी0टैक्स बार एसो0 45 चन्द्रिका कालोनी,सिगरा वाराणसी।
(39) श्री अशोक धवन सी के -24/ 1कुँजगली,चौक,वाराणसी।
(40) श्री नेकी राम गर्ग,अध्यक्षपश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, 707,पंचशील कालोनी, महाबीर चौक,मु0नगर।
(41) श्री पी0एस0जैन, 138 ए ब्लाक ए सेक्टर 27 नोयडा।
(42) श्री ब्रित चावला महा सचिव, (पश्चिमी क्षेत्र प्रभारी)उ0प्र0ट्रक आपरेटर्स ,फेडरेशन (रजि0),पुलदाल मण्डी सहारनपुर।
(43) आर0डी0गुप्ता, एडवोकेट, आकाशपुरी कालोनी ,इलाहाबाद।
(44) श्री संतोष कुमार (पनामा), प्रदेश उपाध्यक्ष, भा0ज0पा0निवासी 60चाहचन्द इलाहाबाद।
(45) श्री शैलेश मिश्रा, महामॅत्री, लोहा व्यापार मंडल,उत्तर प्रदेश ,19 सुरेशबाग, कानपुर।
(46) इन्डियन इण्ड0एसो0, 159/ए -8, 15 प्रकाश मार्केट, लाला लाजपत राय चौक,मु0नगर।
(47) संयोजक,टैक्सेशियों एकैडमिक एण्ड वेलफेयर फोरम एसो, वेस्टर्न यू0पी0,52,नगर निगम कम्पाउन्ड कैसरबाग रोड मेरठ
(48) टैक्सेशन बार एसोसिएशन ट्रेड टैक्स बार रुम जयपुर हाऊस , आगरा ।
(49) श्री मलिक विजय कपूर चेयरमैन कानपुर इण्डस्ट्रियल डिवीजन को0प0 स्टेट लि0 51-बी उद्योग नगर कानपुर।
(50) श्री अनिल कुमार बंसल दि यू0पी0रोलर फ्लोर मिलर्स एसो0 3-एक्स,गोखले मार्ग लखनऊ।
(51) श्री दिनेश अरोरा उ0प्र0 वनस्पति प्रोडूयसर्स एसो0 51/58-ए शक्कर पट्टी कानपुर।
(52) श्री नन्द लाल उपाध्यक्ष उ0प्र0 टेन्ट व्यापार एसो0 565/566 राजेन्द्र नगर लखनऊ।
(53) श्री हुलास राय सिंघल, प्रदेश अध्यक्ष,एफ-3,पार्क रोड,लखनऊ।
(54)श्री अरुण कुमार अवस्थी, प्रान्तीय सॅगठन मन्त्री,अखिल भारतीय उदयोग व्यापार मण्डल,(पॅजी0-बी-29,विधायक निवास, दारुल शफा,लखनऊ।
(55) माननीय अध्यक्ष,व्यापार कर सलाहकार समिति,सचिवालय,लखनऊ।
(56) श्री गोपाल अग्रवाल, राष्ट्रीय महामंत्री आल इण्डिया उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल , 27 ए मिशन कम्पाउन्ड मेरठ।
(57) श्री दिनेश चन्द्र मित्तल , उपाध्यक्ष उ0प्र0 कागज कापी व्यवसायी संघ ,6/6-ए,उ0 बी0एन0रोड,अमीनाबाद लखनऊ।
(58) अध्यक्ष , इण्डियन इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन ,विभूति खण्ड फेस 2 गोमती नगर लखनऊ।
(59) वैट लॉ जनरल 10 नगर निगम कम्पाउन्ड ,कैसर गंज रोड मेरठ ।
(60) वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल मण्डल उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल मण्डल कैम्प कार्या0 इमलीवलानोटरा सादाबाद गेट,हाथरस
(61) सर्वश्री दि किराना मर्चेन्ट्स एसोसियेशन, 67/116 सेवा समिति भवन, केनाल रोड, कानपुर।
(62) श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, एडवोकेट, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश टैक्सवार एसोसियेशन; सीताराम, आजमगढ़ (उ0प्र0)
(63) श्री रमेश केसरवानी (प्रदेश सचिव) जिलाध्यक्ष, उ0प्र0उद्योग व्यापार मण्डल-22/26 आशादेवी मार्केट , खोया मण्डी इलाहाबाद।
(64) श्री मनोज कुमार गुप्ता, अध्यक्ष,राष्ट्रवादी उद्योग व्यापार मण्डल, सुभाषनगर,गली न0-6 गोपाल टॉकीज के पीछे बदायूँ ।
(65) श्री मनीष शर्मा ला मैनेजमेन्ट हाउस, आगरा- 15/5 राजनगर, गाजियाबाद।
(66) श्रीमती इन्दु मिश्रा, इन्दु पब्लिकेशन, आर0डी0सी0-51, राजनगर , गाजियाबाद।
(67) श्री बी0एन0शुक्ला, अध्यक्ष, यू0पी0 पेट्रोलियम ट्रेडर्स एसोसियेशन, 103 बी प्रतिभा तीरथ एपार्टमेन्ट, 1 यूनिवर्सिटी रोड, लखनऊ।

31/12/10

(बी0एन0द्विवेदी)
ज्वाइण्ट कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।

संख्या–क0नि0– 1941 /ग्यारह–2–9(2)/08

प्रेषक,

वी0पी0 सिंह
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

कमिश्नर,
वाणिज्यकर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 **लखनऊ::दिनांक:: 30 दिसम्बर, 2010**

विषय :: सिविल संकर्म संविदाकारों के सम्बन्ध में तथा विद्युत संविदाकारों के सम्बन्ध में देय कर के विकल्प में उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा 6 की उपधारा (1) के अन्तर्गत देय कर के विकल्प में एकमुश्त धनराशि प्राप्त करने के लिए लागू समाधान योजना में संशोधन किया जाना।

महोदय,

कृपया शासनादेश सं0–क0नि0 –2–1278/ग्यारह–2009–9 (2)/08 दिनांक 9.6.2009 का संदर्भ लेने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सिविल संकर्म संविदाकारों एवं विद्युत संविदाकारों के सम्बन्ध में दिनांक 01.01.2008 से समाधान योजना लागू की गई है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा उक्त समाधान योजना में निम्नवत् संशोधन किए जाने का निर्णय लिया गया है:–

(1) सिविल संकर्म संविदाकारों के सम्बन्ध में समाधान योजना के निर्देश के प्रस्तर(2) के वर्तमान खण्ड(क) के स्थान पर निम्नवत् खण्ड(क) रख दिया जाये।
"(क) जिन मामलों में संविदाकार द्वारा वित्तीय वर्ष में निष्पादित ठेके की कुल धनराशि के 5 प्रतिशत तक आयातित माल का प्रयोग किया गया हो, उसमें आगणित धनराशि के 4 प्रतिशत की दर से ।"

(2) विद्युत संविदाकारों के सम्बन्ध में समाधान योजना के निर्देश के प्रस्तर(2) के वर्तमान खण्ड(क) के स्थान पर निम्नवत् खण्ड(क) रख दिया जाये।
"(क) जिन मामलों में संविदाकार द्वारा वित्तीय वर्ष में निष्पादित ठेके की कुल धनराशि के 5 प्रतिशत तक आयातित माल का प्रयोग किया गया हो, उसमें निष्पादित ठेके की धनराशि के 4 प्रतिशत की दर से ।"

3. इस शासनादेश की तिथि से पूर्व व्यापारियों द्वारा समाधान हेतु दिये गये प्रार्थना–पत्रों के सम्बन्ध में सभी शर्तें पूर्ववत शासनादेश दिनांक 09.06.2009 के अनुसार ही रहेंगी।

4. अतः अनुरोध है कि शासन के उपर्युक्त निर्णय के अनुरूप कार्यवाही करने का कष्ट करें तथा योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार करने एवं योजना के अन्तर्गत प्राप्त राजस्व के आँकड़े भी यथासमय शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(वी०पी० सिंह)
विशेष सचिव।